महत्वपूर्ण एवं खास

निर्वाचन कार्य में वाहन संलग्न कराने हेतु करवा सकते हैं पंजीयन

रायगढ़। विधानसभा निर्वाचन-2023 की घोषणा के फलस्वरूप आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गया है। आयोग द्वारा जारी घोषणा के अनुसार रायगढ़ जिले में 17 नवम्बर 2023 को मतदान होना सुनिश्चित किया गया है। निर्वाचन के लिए मतदान सामग्री, मतदान दलों के परिवहन, सेक्टर अधिकारियों, प्रेक्षकगण हेतु अत्यधिक संख्या में वाहनों (बस, इनोवा, स्कार्पियो, बोलेरो, टाटा सूमो)की आवश्यकता होगी। संयुक्त कलेक्टर रायगढ़ ने समस्त वाहन मालिकों को सूचित करते हुए कहा है कि जो भी वाहन मालिक अपने वाहन को निर्वाचन कार्य में संलग्न कराना चाहते है, वे पंजीयन हेतु तत्काल विधानसभा निर्वाचन के वाहन शाखा के लिपिक अनिल कुमार सिदार मोबा.नं.88152-68258 के माध्यम से जिला कार्यालय के कक्ष क्रमांक 41 में संपर्क कर सकते है। निर्वाचन कार्य हेतु अधिग्रहित किए जाने वाले वाहनों को निर्वाचन आयोग के नियमानुसार किराया राशि देय होगी।

ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों का प्रथम रेण्डमाईजेशन 20 को

रायगढ़। विधानसभा आम निर्वाचन 2023 में उपयोग होने वाले ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों का प्रथम रेण्डमाईजेशन 20 अक्टूबर 2023 को पूर्वान्ह 11 बजे जिला कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष क्रमांक 8 में किया जाना है। सर्वमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिनिधि नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर प्रथम रेण्डमाईजेशन में शामिल हो सकते है।

बस-ट्रक भिड़ंत में आधा दर्जन यात्री घायल

धमतरी-रायपुर (आरएनएस)। केरेगांव थाना क्षेत्र के ग्राम बनरौद के निकट एक यात्री बस और ट्रक में हुई आमने-सामने की टक्कर में ट्रक चालक सहित आधा दर्जन यात्री घायल हो गए हैं। सूत्रों ने बताया कि यात्री बस नगरी से सवारी लेकर धमतरी आ रही थी। इसी दौरान केरेगांव थाना क्षेत्र के बनरौद के पास सामने से आ रहे एक ट्रक के साथ बस की टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहनें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं ट्रक चालक के साथ बस में सवार आधा दर्जन यात्रियों को चोटें आई हैं। हादसे के बाद घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। इस घटना की सूचना आसपास के लोगों ने तत्काल पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मार्ग में लगा जाम खुलवाया और प्रकरण जांच में लिया है।

15 पाव देशी, 3 बीयर व 5 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। थाना प्रभारी चक्रधर नगर निरीक्षक प्रशांत राव अहेर के नेतृत्व में चक्रधरनगर पुलिस की अवैध शराब के विरुद्ध लगातार कार्यवाही जारी है। आगामी चुनाव के मद्देनजर थाना प्रभारी चक्रधरनगर द्वारा उड़ीसा सीमा से लगे थानाक्षेत्र के दूरस्थ गांवों से लेकर शहर में मुखबीरों का जाल बिछाकर रखा गया है और प्राप्त सूचनाओं पर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 17/10/2023 के शाम टाउन पेट्रोलिंग दौरान थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली कि मिट्ठुमुडा राजीव गाधीनगर भजनडीपा थाना जूटमिल का काशीराम यादव काफी मात्रा में शराब लेकर अवैध बिक्री के लिए पहाड़ मंदिर की ओर निकला है। चक्रधरनगर पुलिस द्वारा पहाड मंदिर आम रोड पर घेराबंदी कर आरोपी काशीराम यादव पिता स्व ननकु राम याद साकिन मिट्ठुमुडा राजीव गाधीनगर भजनडीपा थाना जूटमिल को पकड़ा गया। मौके पर आरोपी के थैले से 15 पाव शराब, 3 बियर एवं 5 लीटर महुआ शराब कुल कीमती 3,000/-रू का बरामद हुआ। आरोपी काशीराम यादव ने शराब अवैध बिक्री के लिए रखना बताया जिस पर थाना चक्रधरनगर में धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट की कार्यवाही कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

कलेक्टर ने मतदान केन्द्रों एवं स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण, मतदान दल एवं फोर्स के रुकने की व्यवस्था का लिया जायजा

- सभी सुविधाएं करें सुनिश्चित : कलेक्टर
- धरमजयगढ़ में निर्वाचन तैयारियां देखने पहुंचे कलेक्टर एसएसपी
- मास्टर ट्रेनर्स की ली बैठक, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेय गोयल विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों का जायजा लेने धरमजयगढ़ के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में बनाये जाने वाले स्ट्रांग रूम पहुंचे। वहां उन्होंने मतदान केंद्र में सामग्री वितरण-वापसी, मशीनों एवं मतदाता मूवमेंट की जानकारी ली। सुरक्षा की लिहाज से उन्होंने वहां सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने मतदान केन्द्रों में आवश्यक बुनियादी सुविधायें सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार, सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव भी उपस्थित रहे।

कलेक्टर गोयल संगवारी, दिव्यांग, महिला एवं आदर्श मतदान केन्द्रों का भी निरीक्षण किए। उन्होंने एसडीएम को सभी मतदान केंद्रों में पेयजल, विद्युत, रैम्प, टॉयलेट जैसी मूलभुत व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मतदान केंद्र वाले स्कूलों में यथाशीघ्र मरम्मत कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर गोयल मतदान दलों के वाहन पार्किंग के संबंध में जानकारी लेते हुए जगह का निरीक्षण किया। इसके पश्चात उन्होंने मतदान दलों एवं सुरक्षा कर्मियों के ठहरने की व्यवस्था की जानकारी लेते हुए डाइट हॉस्टल, कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला, एकलव्य आवासीय विद्यालय भी पहुंचे। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर को हॉस्टल एवं अन्य स्थानों में वॉश रूम, पानी, बिजली एवं आवश्यक मरम्मत व सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर गोयल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार हमीरपुर बार्डर पर तैनात एसएसटी का भी निरीक्षण किया। कलेक्टर गोयल ने बॉर्डर के चेक पोस्ट पर तैनात कर्मचारियों को गुजरने वाले हर गाड़ी की मुस्तैदी से जांच करने और अवैध और संदिग्ध परिवहन पर तत्काल कार्यवाही करने के साथ अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर गोयल धरमजयगढ़ के सिविल अस्पताल भी पहुंचे। वहां उन्होंने मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। ओपीडी में डॉक्टर स्टाफ की उपस्थिति और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित चिकित्सा अधिकारी को अस्पताल में पर्याप्त एंटीवेनम के साथ अन्य दवाईयों का स्टॉक रखने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर डीएफओ धरमजयगढ़ अभिषेक जोगावत, सहायक कलेक्टर युवराज मरमट, एसडीएम धरमजयगढ़ डिगेश पटेल, एसडीओपी दीपक मिश्रा, तहसीलदार भोजराम डहरिया सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

मास्टर ट्रेनर्स की ली बैठक

कलेक्टर गोयल ने जनपद पंचायत धरमजयगढ़ के सभाकक्ष में मास्टर ट्रेनर्स की बैठक ली। उन्होंने मास्टर ट्रेनरों से कहा कि ट्रेनिंग जितनी बेहतर होगी, निर्वाचन का कार्य उतना अच्छा होगा। निर्वाचन में संलग्न सभी अधिकारी-कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय हो और दल के सभी सदस्यों को ईवीएम मशीन संचालन से जुड़ी तकनीकी जानकारी रहे। ऐसे अधिकारी जो पहली बार निर्वाचन में हिस्सा ले रहे है उन पर फोकस करें और उन्हें विशेष रूप से ट्रेनिंग दें ताकि विषम परिस्थितियों में वे पैनिक न हो। उन्होंने सीएसईबी को विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार ने कहा कि जिन विधानसभा में शैडो एरिया है, जहां नेटवर्क की समस्या हैं। ऐसे मतदान केन्द्रों को चिन्हांकित किया गया है जिसमें मतदान दल के साथ पुलिस जवान के पास उपलब्ध वायरलेस सेट के माध्यम से कम्युनिकेशन किया जा सकता है। डीएफओ धरमजयगढ़ ने कहा कि मतदान दलों की सुविधा के लिए डिवीजन स्तर के हेल्प लाइन नंबर शेयर करने के साथ ही हाथियों के उपस्थिति की डेली रिपोर्टिंग दी जाएगी। इसके साथ ही विभागीय रेस्क्यू टीम की सुविधा दी जाएगी ताकि मतदान दलों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या सुधार के लिए 20 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन

- भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट और वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से कर सकते हैं आवेदन
- नजदीकी तहसील कार्यालय में जाकर कर सकते हैं आवेदन

रायगढ़। विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या मतदाता सूची में जुड़े नाम में सुधार करवाने हेतु 20 अक्टूबर तक आवेदन किए जा सकते हैं।

इस संबंध में जिला निर्वाचन शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले के ऐसे पात्र मतदाता जिनका नाम अब तक मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है अथवा सूची में जुड़े नाम या जानकारी में किसी प्रकार का सुधार करवाना चाहते हैं तो 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वह आवेदन ऑनलाइन भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in में जाकर किया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग के वोटर हेल्प लाइन एप के माध्यम से भी आवेदन किए जा सकते हैं। वहीं अपने नजदीकी तहसील कार्यालय में भी जाकर नाम जुड़वाने या सुधार के ऑफलाइन आवेदन भरे जा सकते हैं। गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। जिसके अनुसार जिले की सभी विधानसभाओं के लिए 17 नवंबर को मतदान किया जायेगा।

एकताल बैरियर पर 3 वाहनों से 13,76,900 रुपए गनदी बरामद

- चक्रधरनगर पुलिस और फ्लाइंग स्क्वॉड की कार्यवाही
- संपत्ति स्वामी को जब्त रकम मुक्त कराने कलेक्टोरेट में समिति के पास प्रस्तुत करने होंगे सुसंगत दस्तावेज

रायगढ़। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा होने के फलस्वरूप 9 अक्टूबर से जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने की दिशा में निर्वाचन व्यय निगरानी तथा आदर्श आचरण संहिता के संबंध में प्रशासन व जिला पुलिस भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायगढ़ द्वारा विभिन्न एजेंसियों के अतिरिक्त जिले में उड़नदस्ता एवं स्थैतिक निगरानी दल गठित किया गया है जिनके द्वारा लगातार निगरानी कर कार्यवाही की जा रही है।

जिले में प्रवेश करने वाले प्रमुख बैरियर के साथ ही एकताल बैरियर पर चक्रधरनगर पुलिस की टीम मुस्तैदी से 24X 7 वाहन एवं व्यक्तियों के जांच पड़ताल में लगी है। इसी क्रम में कल दिनांक 17/10/2023 के दोपहर चक्रधरनगर पुलिस एवं उड़नदस्ता दल (FST) द्वारा एक के बाद एक 3 उड़ीसा पासिंग वाहनों से रु. 50,000 से अधिक नगद राशि परिवहन करते जप्त किया गया है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के सीमा अंदर रु. 50000 से अधिक नगद राशि के रूप में ले जाने पर पाबंदी है। चक्रधरनगर पुलिस और फ्लाइंग स्क्वॉड द्वारा (1) टाटा एस क्रमांक ओडी 16 डी0-7981 के चालक आदित्य सिंह सुंदरगढ़ ओड़िसा के पास से रु. 2,46,900 नगद (2) मारुति ईको कार ओडी 23 सी-1997 के चालक इरफान रब्बानी निवासी झारसुगुड़ा से रु. 1,80,000 रुपए नगद (3) मारुति अर्टिगा क्रमांक ओडी 23 ई-1324 के चालक अभिषेक डालमिया निवासी बेलपहाड़ उड़ीसा के पास से रु. 9,50,000 कुल रु. 13,76,900 की जप्ती धारा 102 सीआरपीसी के तहत 3 अलग-अलग कार्यवाही में किया गया है। ज्ञात हो कि 15 अक्टूबर की रात्रि चक्रधरनगर पुलिस और उड़नदस्ता दल की संयुक्त टीम द्वारा बोइरदादार के पास महिपाल सिंह से रु. 4,01,120 रुपए की जप्ती किया गया था। इस प्रकार चक्रधरनगर पुलिस द्वारा पिछले दो दिनों में चार प्रकरणों में 17,78,020 रूपये संदिग्ध रकम की विधिवत जप्ती कर कार्रवाई किया गया।

थाना चक्रधरनगर में नगर पुलिस अधीक्षक अभिनव उपाध्याय द्वारा थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव तथा नायब तहसीलदार हरनंदन बंजारे, हिमांशु सिंह, तृप्ति चंद्राकर और चक्रधरनगर पुलिस के साथ मीडिया से जानकारी साझा कर बताये कि जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू होने के दौरान उड़नदस्ता दल, स्थैतिक निगरानी दल अथवा पुलिस द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत कार्रवाई कर रही है, जप्त नगद राशि/माल को मुक्त करने संपत्ति स्वामी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायगढ़ द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के समक्ष कलेक्टोरेड कक्ष क्रमांक 21 सुसंगत दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं जिनके प्रस्तुत आवेदन/अपील को समिति द्वारा जांच उपरांत निराकरण किया जावेगा।

प्रभावशील आचार संहिता में पुलिस की कड़ी चौकसी, लैलूंगा पुलिस ने 11 किलो अवैध गांजा के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार

- ओड़िसा से गांजा लेकर रायगढ़ जाने की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा

रायगढ़। आसन्न विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सम्पूर्ण जिले में पुलिस की चौक चौबंद व्यवस्था है। कलेक्टर कार्तिकेय गोयल व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के दिशा-निर्देशन पर दिगर राज्य से मादक पदार्थों एवं संदिग्ध सामग्री की आवाजाही रोकने जिले के सभी प्रमुख चेक पोस्ट में पुलिस व स्थैतिक दल (SST Team) निगरानी किया जा रहा है। एसएसपी सदानंद कुमार के निर्देशन पर समस्त राजपत्रित अधिकारियों व थाना प्रभारियों द्वारा मुखबिर सक्रिय कर अंदरूनी मार्ग पर निगाह रखी जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 18/10/2023 के भोर में थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक मोहन भारद्वाज को उनके लगाए मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम लाखा में रहने वाला पूरन चंद चौबे नाम का व्यक्ति उड़ीसा गांजा लेने गया है जो किलकिला/हाडीपानी के रास्ते से लैलूंगा आने वाला है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी लैलूंगा द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर गांजा रेड के लिए अलग-अलग टीमें बनाकर किलकिला, हाडीपानी और कोतबा मार्ग पर घेराबंदी के लिए रवाना किया गया। साथ ही स्वयं टीआई लैलूंगा हमराह स्टाफ के साथ मुख्य मार्ग पर निगाह रखे हुए थे। लैलूंगा पुलिस की एक टीम द्वारा सुबह-सुबह ग्राम हाडीपानी स्कूल के सामने घेराबंदी कर एक व्यक्ति को प्लास्टिक थैला पकड़े पैदल जाते हुये पकड़ा गया जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम पूरन चंद चौबे निवासी लाखा बताया जिसके पास रखे प्लास्टिक थैले के अंदर 11 पैकेट में एक-एक किलो का पैकेट बना हुआ मादक पदार्थ गांजा कुल 11 किलो, कीमत रु. 1,32,000 रखा मिला। गांजा का अवैध परिवहन कर रहे आरोपी पूरनचंद चौबे पिता प्रेमहंस चौबे उम्र 43 साल निवासी लाखा थाना कोतवाली रायगढ़ द्वारा अवैध गांजा को उड़ीसा से लेकर लैलूंगा के रास्ते रायगढ़ बिक्री के लिए लेकर जाना बताया। आरोपी के कृत्य पर थाना लैलूंगा में धारा 20 बी एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

मादक पदार्थों एवं संदिग्ध सामग्री की आवाजाही पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी संजय महादेवा व एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन पर गांजा रेड कार्यवाही में थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक मोहन भारद्वाज, सहायक उप निरीक्षक चंदन सिंह नेताम, आरक्षक हेलारियूस लकड़ा, महिला आरक्षक अनिरा लकड़ा की अहम भूमिका रही है।

एक्शन मोड में प्रशासन व पुलिस : खरसिया में गाड़ियों से उतरवाए गए पदनाम वाले नंबर प्लेट

- आमजन के भी अमानक नंबर प्लेट पर हुई कार्रवाई

रायगढ़। प्रदेश में आचार संहिता प्रभावशील है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रभावी रूप से आदर्श आचार संहिता के नियमावली का पालन जिले में कराया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 18.10.2023 को स्थानीय प्रशासन के साथ खरसिया पुलिस द्वारा प्रमुख चौंक-चौराहों पर वाहनों की सघन जांच कार्रवाई किया गया।

एसडीपी खरसिया प्रभात पटेल के नेतृत्व में थाना प्रभारी खरसिया निरीक्षक राकेश मिश्रा व उनका स्टाफ शहर के प्रमुख चौंक-चौराहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें ऐसे वाहनों को भी रोका गया जिन वाहनों पर राजनीतिक पदनाम की नंबर प्लेट लगी थी उन्हें आदर्श आचार संहिता की जानकारी देकर वाहनों से नंबर प्लेट उतरवाये गये और मानक प्लेट लगाने कहा गया। वाहन चेकिंग दौरान पुलिस ने वाहनों के प्रेशर हार्न, मॉडिफाई सायलेंसर और नंबर प्लेट की भी जांच किया गया। कई वाहनों पर अमानक नंबर प्लेट लगी हुई थी जिन पर धार्मिक स्लोगन, कार्टून इत्यादि बने हुए थे जिन्हें थाना प्रभारी ने केंद्रीय मोटर यान अधिनियम की जानकारी देकर चालान करते हुये मानक अनुरूप वाहन नंबर प्लेट लगाने की हिदायत दिये।

विगत दिनों पुसौर थानाक्षेत्र में भी थाना प्रभारी निरीक्षक सीताराम ध्रुव द्वारा जनप्रतिनिधियों के पदनाम वाले नंबर प्लेट उतरवाए गए थे।

कलेक्टर ने मतदाता जागरूकता रथ के वाहन को किया रवाना

- स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत जागरूकता रथ के माध्यम से दिव्यांग और सियान मतदाताओं के लिए जनजागृति अभियान का संचालन

सारंगढ़-बिलाईगढ़। लोकतंत्र को मजबूत बनाने तथा आगामी विधानसभा में शत प्रतिशत मतदान के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी के मार्गदर्शन में स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत जिले में अनेक मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में समाज कल्याण विभाग एवम् मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सारंगढ़ द्वारा संयुक्त रूप से दिव्यांग और सियान मतदाताओं के लिए, जनजागृति अभियान का संचालन किया जा रहा है। यह मतदाता जागरूकता रथ सभी 129 ग्राम पंचायतों में अनवरत भ्रमण करेगा। इस मतदाता जागरूकता रथ को कलेक्टोरेट परिसर से कलेक्टर डॉ सिद्दीकी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर पंचायत नोडल हरिशंकर चौहान, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी विनय तिवारी एवं सारंगढ़ जनपद सीईओ संजू पटेल उपस्थित थीं।

इस रथ के माध्यम से दिव्यांगजनों एवं 80 वर्ष की आयु से अधिक के मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर एवं पोस्टल बैलेट की सुविधा का प्रचार प्रसार किया जाएगा, इसके साथ ही दिव्यांगजन उनका सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा मतदाता जागरूकता के लिए ग्राम भ्रमण करते हुए इस रैली के माध्यम से उपस्थित सभी लोगों द्वारा शत प्रतिशत मतदान हेतु शपथ संकल्प लिया जाएगा। मंगलवार 17 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हुई इस रथ यात्रा में ग्राम पंचायत केडार में मतदाता जागरूकता हेतु शिविर संचालन किया गया, इसी क्रम में 18 अक्टूबर को ग्राम पंचायत कटेली, 19 अक्टूबर को ग्राम पंचायत नौरंगपुर, 20 अक्टूबर को ग्राम पंचायत घौठला बड़े, 21 अक्टूबर को ग्राम पंचायत छातादेई होते हुए 22 अक्टूबर को ग्राम पंचायत मौहाढ़ोढ़ा में उक्त मतदाता जागरूकता रथ का समापन होगा।

सी-विजिल एप से कर सकेंगे आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत

रायगढ़। स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने में नागरिकों की भागीदारी और जवाबदेही बढ़ाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग विधानसभा निर्वाचन-2023 में भी सी-विजिल ((C-ViGil)) मोबाइल एप लेकर आया है। इस एप के जरिए कोई भी व्यक्ति आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन की गतिविधियों या घटनाओं की शिकायत चंद मिनटों में दर्ज करा सकता है। इसके लिए अब उसे निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर में आने की जरूरत नहीं होगी। जिले में अब तक आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतें होने पर समय रहते कार्रवाई की जाएगी। सी-विजिल मोबाइल एप पर शिकायत प्राप्त होते हुए उड़नदस्ता (एफ.एस.टी.) तुरंत मौके पर पहुँच कर जरूरी कार्रवाई करेगा।

इस एप के माध्यम से आने वाली हर शिकायत पर 100 मिनट के अंदर कार्रवाई की जाएगी। इसमें शिकायतकर्ता शराब, पैसे बांटने या आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत सी-विजिल ऐप पर कर सकते हैं। इसमें शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा। 100 मिनट में शिकायत पर एक्शन होगा। ऐप पर फोटो अपलोड करना होगा। शिकायतकर्ता को यह भी लिखने की जरूरत नहीं होगी कि वह कहां है। यानी इस ऐप के जरिए मतदाता भी चुनाव में निगरानी कर सकते हैं। ऐप के माध्यम से मतदाता फोटो और वीडियो के साथ जहां गड़बड़ी हो रही हो उस स्थान की लोकेशन भी भेज सकते हैं और लिखकर पूरी जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं।

ऐसे काम करता है यह ऐप

यह एप एंड्रॉयड और आईओएस, दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। एंड्रॉयड यूजर इसे गूगल प्ले स्टोर से और एपल यूजर एप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉल करने पर कैमरा, लोकेशन और ऑडियो और फाइल्स एक्सेस करने की अनुमति मांगी जाती है। इसके बाद भाषा चुनने का विकल्प मिलता है जहां आप हिंदी या अंग्रेजी भाषा का चयन कर सकते हैं। इसके बाद आपको फोन नंबर लिखना होगा, जिस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद आपको अपने नाम, पता, राज्य, जिला, विधानसभा क्षेत्र और पिन कोड की जानकारी देनी होगी। ये जानकारियां देने के बाद आपको वेरिफाई पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एप का होम पेज खुल जाएगा, जहां आपको फोटो, वीडियो और ऑडियो के विकल्प मिलेंगे। आप जिस भी माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं, वह विकल्प चुन कर आप आसानी से गड़बड़ी की जानकारी पहुंचा सकते हैं।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.डी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO:- CHHHIN/2018/76480